



शुद्धिपत्र

आरएफपी संदर्भ संख्या: -

जीईएम/2026/बी/7532386 - एनएचबी/आरएफपी/2026/06759 दिनांक 12 मई, 2026

**प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी)
एनएचबी की प्रस्तावित सावधि जमा योजना का विकास और कार्यान्वयन**

20 मई, 2026 को सुबह 11:00 बजे आयोजित प्रीबिड बैठक के आधार पर, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) में निम्नलिखित परिवर्तन प्रभावित होते हैं।

क्र. सं.	खण्ड संख्या	मौजूदा खंड	प्रस्तावित खंड
1.	1. महत्वपूर्ण बोली विवरण	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय: 02-06-2026 शाम 5 बजे तक	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय: 09-06-2026 शाम 5 बजे तक
2.	4. कार्य का दायरा और डिलिवरेबल्स	4.16 होस्टिंग और आईटी संचालन ○ भारत में डेटा रेजीडेंसी के साथ एक निजी क्लाउड पर एप्लिकेशन को होस्ट करना	4.16 होस्टिंग और आईटी संचालन ○ भारत में डेटा रेजीडेंसी के साथ एमईआईटीवाई के पैनल में शामिल क्लाउड सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए एक निजी क्लाउड पर एप्लिकेशन को होस्ट करना
3.	4. कार्य का दायरा और डिलिवरेबल्स	4.20 डीसी में सक्रिय-सक्रिय क्लस्टर और डीआरसी में सक्रिय-सक्रिय क्लस्टर के लिए एप्लिकेशन और डेटाबेस का आकार होना चाहिए ताकि समाधान और बुनियादी ढांचा एक-दूसरे पर वापस आ सके।	4.20 डीसी और डीआरसी में एप्लिकेशन और डेटाबेस का आकार बनाया जाना चाहिए ताकि समाधान और बुनियादी ढांचा एक-दूसरे पर वापस आ सके। स्वचालित विफलता के साथ क्लाउड-नेटिव प्रबंधित डीआर आर्किटेक्चर भी स्वीकार्य होगा।
4.	4. कार्य का दायरा और डिलिवरेबल्स	4.22 केवाईसी अनुपालन बोलीदाता के माध्यम से किया जाना है। बोलीदाता केवाईसी अनुपालन और समाधान के विकास के उद्देश्य से एनएचबी के एजेंट के रूप में कार्य करेगा।	4.22 केवाईसी अनुपालन बोलीदाता या उप-ठेकेदार के माध्यम से किया जाना है। बोलीदाता या उप-ठेकेदार केवाईसी अनुपालन और समाधान के विकास के उद्देश्य से एनएचबी के एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

क्र. सं.	खण्ड संख्या	मौजूदा खंड	प्रस्तावित खंड
5.	4. कार्य का दायरा और डिलिवरेबल्स	4.40 विक्रेता के चूक या सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाता के पास स्रोत कोड के लिए एक एस्करो व्यवस्था होगी।	4.40 विक्रेता के चूक या सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाता के पास स्रोत कोड के लिए एक एस्करो व्यवस्था होगी। गो-लाइव और समाधान की अंतिम स्वीकृति के बाद एस्करो व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए।
6.	5. पात्रता मानदंड और बोली मूल्यांकन	2. बोलीदाता के पास सीकेवाईसी/डिजिलॉकर या केवाईसी उचित परिश्रम/अनुपालन के लिए ऐसी किसी अन्य सेवाओं का उपयोग करके आरबीआई/सेबी/आईआरडीए/पीएफ आरडीए द्वारा विनियमित 3 सक्रिय ग्राहक होने चाहिए।	2. बोलीदाता या उप-ठेकेदार के पास सीकेवाईसी/डिजिलॉकर या केवाईसी उचित परिश्रम/अनुपालन के लिए ऐसी किसी अन्य सेवाओं का उपयोग करके आरबीआई/सेबी/आईआरडीए/पीएफ आरडीए द्वारा विनियमित 3 सक्रिय ग्राहक होने चाहिए।
7.	6. बोली मूल्यांकन I) पात्रता और तकनीकी मूल्यांकन	1. भारत के भीतर ऑनलाइन केवाईसी ड्यू डिलिजेंस सेवाएं प्रदान करने में बोलीदाता का अनुभव > 8 साल >5 वर्ष और <=7 वर्ष >2 वर्ष और <=4 वर्ष	1. भारत के भीतर ऑनलाइन केवाईसी ड्यू डिलिजेंस सेवाएं प्रदान करने में बोलीदाता या उप-ठेकेदार का अनुभव > 8 साल >5 वर्ष और <=7 वर्ष >2 वर्ष और <=4 वर्ष
8.	6. बोली मूल्यांकन I) पात्रता और तकनीकी मूल्यांकन	3. केवाईसी/डिजिलॉकर या केवाईसी उचित परिश्रम/अनुपालन के लिए ऐसी किसी अन्य सेवाओं का उपयोग करके आरबीआई/सेबी/आईआरडीए/पीएफ आरडीए द्वारा विनियमित ग्राहकों की संख्या। 9 से अधिक ग्राहक 6 से 8 ग्राहक 3 से 5 ग्राहक	3. सीकेवाईसी/डिजिलॉकर या केवाईसी उचित परिश्रम/अनुपालन के लिए ऐसी किसी अन्य सेवाओं का उपयोग करके आरबीआई/सेबी/आईआरडीए/पीएफ आरडीए द्वारा विनियमित बोलीदाता या उप-ठेकेदार के ग्राहकों की संख्या। 9 से अधिक ग्राहक 6 से 8 ग्राहक 3 से 5 ग्राहक
9.	6. बोली मूल्यांकन I) पात्रता और	इस घटना में कि एक बोलीदाता भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उप-ठेकेदार को नियुक्त करता है, मूल्यांकन मानदंड क्रम संख्या 2 और	यदि कोई बोलीदाता केवाईसी और पेमेंट गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उप-ठेकेदार को नियुक्त करता है , तो मूल्यांकन मानदंड के तहत दिए जाने

क्र. सं.	खण्ड संख्या	मौजूदा खंड	प्रस्तावित खंड
	तकनीकी मूल्यांकन	<p>क्रम संख्या 4 के तहत दिए गए अंकों को नब्बे प्रतिशत (90%) तक पुनः कैलिब्रेट किया जाएगा।</p> <p>उदाहरण के लिए, बोलीदाता "ए" ने आरएफपी के लिए भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए उप-ठेकेदार "एक्स" को नियुक्त किया है। उप-ठेकेदार "एक्स" के पास भारत में पेमेंट गेटवे समाधान प्रदान करने का 10 वर्षों का अनुभव है और वर्तमान में 10 ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। मूल्यांकन मानदंड के तहत, बोलीदाता "ए" आमतौर पर क्रम संख्या 2 के तहत 10 अंकों और क्रम संख्या 4 के तहत 20 अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। हालांकि, चूंकि ये क्रेडेंशियल्स सीधे बोलीदाता के बजाय एक उप-ठेकेदार से संबंधित हैं, इसलिए बोलीदाता "ए" को क्रम संख्या 2 के तहत 9 अंक (10 के 90% तक पुनः कैलिब्रेट) और क्रम संख्या 4 के तहत 18 अंक (20 के 90% तक पुनः कैलिब्रेट) दिए जाएंगे।</p>	<p>वाले अंक क्र. 1, 2, 3 और नब्बे प्रतिशत (90%) में पुनः कैलिब्रेट किया जाएगा।</p> <p>उदाहरण के लिए, बोलीदाता "ए" ने केवाईसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उप-ठेकेदार "क्यू" और आरएफपी के लिए भुगतान गेटवे सेवाएं प्रदान करने के लिए उप-ठेकेदार "एक्स" को नियुक्त किया है। उप-ठेकेदार "क्यू" के पास भारत में केवाईसी ड्यू डिलिजेंस सेवाएं प्रदान करने का 10 साल का अनुभव है और उप-ठेकेदार "एक्स" के पास भारत में पेमेंट गेटवे समाधान प्रदान करने का 10 साल का अनुभव है और दोनों वर्तमान में 10 ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। मूल्यांकन मानदंड के तहत, बोलीदाता "ए" आमतौर पर क्रम संख्या के तहत 10 अंकों के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। क्रम संख्या 1 और 2 और 20 अंक के तहत 20 अंक निर्धारित किए जाएंगे। 3 और 4. तथापि, चूंकि ये क्रेडेंशियल्स सीधे बोलीदाता के बजाय उप-ठेकेदारों से संबंधित हैं, इसलिए बोलीदाता ए को क्रम संख्या 2010 के तहत 9 अंक (10 के 90% तक पुनः कैलिब्रेट) दिए जाएंगे। क्रम संख्या 1 और 2 और 18 अंक (20 के 90% तक पुनः कैलिब्रेट किए गए) 3 और 4.</p>
10.	खण्ड 19	<p>उप-ठेकेदार</p> <p>बोलीदाता सक्षम संगठनों के साथ ई-साइनिंग समाधान और भुगतान गेटवे सेवाओं से संबंधित भागों को उप-अनुबंध कर सकता है। हालांकि, परियोजना को संभालने, प्रबंधित करने और सफलतापूर्वक पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी केवल बोलीदाता के पास रहेगी। एनएचबी बोलीदाता से केवल पूर्ण</p>	<p>उप-ठेकेदार</p> <p>बोलीदाता सक्षम संगठनों के साथ केवाईसी ड्यू डिलिजेंस, ई-साइनिंग सॉल्यूशन और पेमेंट गेटवे सेवाओं से संबंधित भागों को उप-अनुबंध कर सकता है। हालांकि, परियोजना को संभालने, प्रबंधित करने और सफलतापूर्वक पूरा करने की मुख्य जिम्मेदारी केवल बोलीदाता के पास</p>

क्र. सं.	खण्ड संख्या	मौजूदा खंड	प्रस्तावित खंड
		समाधान स्वीकार करेगा और किसी भी अधूरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो केवल आरएफपी का हिस्सा है। बोलीदाता उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। एनएचबी उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) से किसी भी चालान को स्वीकार नहीं करेगा या बोलीदाता और उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) के बीच किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। यदि बोलीदाता द्वारा कोई उप-ठेकेदार शामिल है या लगाया गया है, तो यह प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। उप-ठेकेदार आरएफपी की शर्तों का पालन करेगा।	रहेगी। एनएचबी बोलीदाता से केवल पूर्ण समाधान स्वीकार करेगा और किसी भी अधूरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो केवल आरएफपी का हिस्सा है। बोलीदाता उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। एनएचबी उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) से किसी भी चालान को स्वीकार नहीं करेगा या बोलीदाता और उप-ठेकेदार (ठेकेदारों) के बीच किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा। यदि बोलीदाता द्वारा कोई उप-ठेकेदार शामिल है या लगाया गया है, तो यह प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। उप-ठेकेदार आरएफपी की शर्तों का पालन करेगा।